

## NOTE SHEET

प.स. 507

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर
27/11/15	<p>पत्रावली पेश हुई, तहसीलदार आसिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट 1956 में प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य में जमाबंदी में दर्ज खसरे का नक्शे में वन टू वन में विभाजित किया जा रहा है जिसमें ज्ञात आया कि ग्राम ..... <u>घाठ</u> ..... खसरा नं. <u>1122 1122</u> जमाबंदी में रकबा एक साथ जुमला दर्ज है जबकि प्लॉट पर एक से अधिक टुकड़े हैं जिनको एक किया जाना संभव नहीं है। खातदारी भूमि एवं नाम में कोई परिवर्तन नहीं है केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए नक्शा में अंकन किया जाना है। उपरोक्त रिकॉर्ड जमाबंदी एवं सशोधन हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। "परिशिष्ट 01" को निर्णय का भाग घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की स्वीकृति दी जाती है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी  
एवं  
सहायक कलेक्टर व  
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आसिया

